

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 58

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1001

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- सुरेन्द्र कुमार

पिता/पति का नाम :- पिता चौकीराम

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 82

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1002

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- राजकुमार गौतम

पिता/पति का नाम :- पिता श्री राजेन्द्र कुमार गौतम

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 108

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1003

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- संजय कुमार रतनाकर

पिता/पति का नाम :- पिता शिवचरण रतनाकर

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 119

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1004

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- पुष्पेन्द्र कुमार लहरे

पिता/पति का नाम :- पिता मिलन सिंह लहरे

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 120

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1005

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- धनेश कुमार

पिता/पति का नाम :- पिता देवप्रसाद

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 203

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1006

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- श्री जितेन्द्र कुमार

पिता/पति का नाम :- पिता श्री पंचु बंजारे

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 352

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1007

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- दीपक कुमार राठौर

पिता/पति का नाम :- श्री विष्णु प्रसाद राठौर

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 374

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1008

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- कमलेश कुमार गुप्ता

पिता/पति का नाम :- पिता श्री शौकीलाल गुप्ता

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 381

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1009

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- महेन्द्र कुमार साहू

पिता/पति का नाम :- पिता श्री कृषलाल साहू

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 390

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1010

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- दिलीप कुमार पैकरा

पिता/पति का नाम :- पिता श्री सुरित राम पैकरा

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 458

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1011

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- महेश कुमार वर्मा

पिता/पति का नाम :- पिता श्री फेरू राम वर्मा

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 693

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1012

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- अजीत एक्का

पिता/पति का नाम :- बदकराम

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.ज.जा.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 757

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1013

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- संजीव शरणागत

पिता/पति का नाम :- पिता रामचंद्र शरणागत

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अना.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 761

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1014

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- रामरतन जायसवाल

पिता/पति का नाम :- पिता शंकर लाल जायसवाल

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.पि.व.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 837

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1015

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- संतोष कुमार चौहान

पिता/पति का नाम :- पिता श्री सुफल चौहान

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा-2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 838

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1016

आवेदित पद का नाम :- स्वीपर

अभ्यर्थी का नाम :- संजीव कुमार जोशी

पिता/पति का नाम :- पिता श्री राधेलाल जोशी

वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.) :- अ.जा.

परीक्षा तिथि :- 18.02.2018

समय :- प्रातः 10.00 बजे

परीक्षा केन्द्र :- जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।

(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
3. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
5. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
6. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
7. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छौट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
8. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at
<http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>